मदीना तैयिबा

की फजीलत और उसकी ज़ियारत एंव निवास के आदाब

लेख

शैख़ अब्दुल मोहसिन बिन हमद अल-अब्बाद

(भूत पूर्व कुलपति मदीना इस्लामिक यूनिविर्सिटी)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

प्रकाशन

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

islamhouse.com

1428-2007

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخليله وخيرته من خلقه، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير، وحذرها من كل شر ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का नगर तैबतुत-तैयिबा, वह्य के अवतरित होने का स्थान, और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जिब्रील अमीन के उतरने का स्थल है, यही ईमान का मल्जा (शरण स्थान) और मावा (परिश्रय), मुहाजिरीन और अन्सार का संगम

और उन लोगों की मातृ भूमि है जिन्होंने इस घर (मदीना) में और ईमान में ठिकाना बना लिया था (अर्थात अन्सार), और यही मुसलमानों की सर्वप्रथम राजधानी है, इसी नगर में अल्लाह के मार्ग में जिहाद (धर्म-युद्ध) के लिए झंडे बाँधे गए और लोगों को अंधेरों से प्रकाश की ओर निकालने के लिए हक़ के क़ाफिले (जत्थे) रवाना हुए, और यहीं से प्रकाश (नूर) की किरण फूटी और धरती मार्गदर्शन के प्रकाश से जगमगा उठी, यही मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का दारूल हिज्रत है जिसकी ओर आप ने हिज्रत किया, यहीं पर आप ने अपने जीवन के अन्तिम दिन बिताए, यहीं पर आपका निधन हुआ, यहीं आप की समाधि है, और यहीं से आप (क़ियामत के दिन) उठाए जायेंगे, और आप ही की क़ब्र सबसे पहले फटेगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य नबी की क़ब्र के स्थान का कोई निश्चित पता नहीं है।

इस मुबारक नगरी को अल्लाह तआला ने प्रतिष्ठा और विशेषता प्रदान किया है और मक्का के पश्चात इसे सबसे श्रेष्ठ स्थान बनाया है। मदीना पर मक्का की फज़ीलत (प्रतिष्ठा) का प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का वह कथन है जो आप ने मक्का को सम्बोधित करते हुए उस समय फरमाया था जब कुफ्फार ने आपको वहाँ से

बाहर निकाल दिया था और आप ने मदीना की ओर हिज्रत का रूख किया थाः

((وَاللّٰهِ إِنَّكِ لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)).

"अल्लाह की सौगन्ध! तू (अर्थात मक्का) अल्लाह तआला की सर्वश्रेष्ठ धरती, और अल्लाह के निकट अल्लाह की सबसे अधिक प्रिय धरती है, यदि मैं तुझ से निकाला न जाता तो न निकलता।" (इस हदीस को त्रिमिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और यह हदीस सहीह है).

जहाँ तक उस हदीस का संबंध है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर मन्सूब की जाती है और वह यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दुआ करते हुए फरमायाः

((اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي - يعني مكة- فأسكني في أحب البلاد إليك- يعني المدينة))

"ऐ अल्लाह! तू ने मुझे मेरे निकट सबसे अधिक प्रिय नगर -अर्थात मक्का- **से निकाल दिया है। सो,**

मुझे अपने निकट सबसे प्रिय नगर -अर्थात मदीना- **में निवास प्रदान कर।"**

तो यह एक मौज़ू (मनगढ़त, झूठी गढ़ी हुई) हदीस है और इसका अर्थ उचित नहीं है; क्योंकि इसका तर्क यह है कि जो चीज़ अल्लाह के निकट सबसे अधिक प्रिय है वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकट सबसे अधिक प्रिय नहीं है। और जो चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकट सबसे अधिक प्रिय है वह अल्लाह तआला के निकट सबसे अधिक प्रिय नहीं है। हालांकि यह बात मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत अल्लाह तआला की महब्बत के अधीन है, अतः जो चीज़ अल्लाह के निकट सबसे अधिक प्रिय है वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निकट अप्रिय नहीं हो सकती।

मैं ने इस पुस्तिका को इस मुबारक नगर की फज़ीलत, इसमें निवास गृहण करने और इसकी ज़ियारत करने के आदाब (आचरण) का उल्लेख करने के लिए लिखना उचित समझा, जिसके अन्दर मैं इसकी कुछ फज़ीलतें, फिर इसमें निवास करने के आदाब और उसके बाद इसकी ज़ियारत के आदाब काउ ल्लेख करूंगा।

मदीना तैयिबा की फज़ीलत

इस मुबारक नगर की फज़ीलतों में से यह है कि अल्लाह तआला ने इसे शान्ति और सुरक्षा वाला हरम (सम्मानीय और धर्म-निषिध) बनाया है जिस प्रकार मक्का को शान्ति और सुरक्षा वाला हरम बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमायाः

((إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة))

''इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम -सम्मान और हुर्मत वाला- घोषित किया था और मैं मदीना को सम्मान और हुर्मत वाला घोषित करता हूँ।'' (मुस्लिम)

मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम -और इब्राहीम अलैहिस्सलाम - से संबंधित इस तह्रीम (हराम घोषित करने) से तात्पर्य तहरीम की घोषणा और एलान करना है, अन्यथा तहरीम तो अल्लाह तआला की ओर से है और उसी ने उस (मक्का) को सम्मान और हुर्मत वाला

क़रार दिया और इस (मदीना) को भी सम्मान और हुर्मत वाला क़रार दिया है।

अल्लाह तआला ने (संसार के) समस्त नगरों को छोड़कर केवल इन्हीं दो नगरों को इस विशेषता -अर्थात हुर्मत- के साथ मखसूस (विशिष्ठ) किया है, तथा कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जो मक्का और मदीना के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की हुर्मत (सम्मान और धर्म-निषेधता) पर तर्क हो, बहुत से लोगों की ज़ुबानों पर जो यह बात प्रचलित है कि मस्जिदे अक़्सा तीसरा हरम है तो यह फैली हुई और प्रचलित ग़ल्तियों में से है; इसलिए कि हरमैन (दोनों हरमों) का कोई तृतीय नहीं है, किन्तु उचित शैली यह है कि उसे तीसरी मस्जिद- अर्थात दो सम्मानित और प्रतिष्ठित मस्जिदों की तृतीय- कहा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी हदीस आई हुई है जो इन तीनों मस्जिदों की फज़ीलत पर और उनमें नमाज़ पढ़ने के लिए उनकी ओर यात्रा करने पर दलालत करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्मायाः

((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)).

“तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान के लिए (उनसे बरकत प्राप्त करने और उन में नमाज़ पढ़ने के लिए) यात्रा न की जाए: मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा।” (बुखारी व मुस्लिम)

मक्का और मदीना में हरम से मुराद वह हुदूद (सीमाएं) हैं जो उन में से हर एक को घेरे हुए हैं, यही हरम का तात्पर्य है। लोगों के बीच जो यह बात फैली हुई है कि हरम केवल मस्जिदे नबवी के लिए बोला जाता है तो यह प्रचलित और फैली हुई ग़ल्तियों में से है; इसलिए कि केवल मस्जिदे नबवी ही हरम नहीं है, बल्कि पूरा मदीना जो कुछ ऐर (पहाड़ी) और सौर (पहाड़ी) के बीच, और जो कुछ उसके दोनों हर्रों (अर्थात उसके पश्चिम और पूरब में दोनों काले पत्थरों वाली ज़मीनों) के बीच है वह हरम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((المدينة حرم ما بين عير وثور))

“ऐर और सौर के बीच मदीना का हरम है।” (बुखारी व मुस्लिम)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:

((إني حرمت ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها)).

“मैं ने मदीना के दोनों लाबा (अर्थात उसके पूरब और पच्छिम में स्थिति दोनों काले पत्थरों वाली ज़मीनों) के बीच हराम (निषिध) क़रार दिया है कि उसके कांटेदार वृक्षों को काटा जाए, या उसके शिकार को मारा जाए।” (मुस्लिम)

यह बात मालूम है कि इस समय मदीना में विस्तार होगया है, यहाँ तक कि उसका एक भाग हरम से बाहर हो गया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता किः मदीना के अन्दर मौजूद सारे भवन हरम में आते हैं, किन्तु जो भवन हरम की सीमा के अन्दर हैं वह हरम है, और जो भवन हरम की सीमा के बाहर है उसके विषय में यह कहा जाएगा कि वह मदीना का भाग है, किन्तु यह नहीं कहा जाएगा कि वह हरम में दाखिल है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मदीना के हरम की सीमा के बयान में वर्णित है किः **हरम दो लाबा** (उसके पूरब और पच्छिम में काले पत्थरों वाली ज़मीन) **के बीच है**, या **दो हर्रा** (हर्रतुल वब्रा और हर्रतुल वाक़िम) **के**

बीच है, या **दो पहाड़ों के बीच है**, या **ऐर और सौर** (नामी पहाड़ों) **के बीच है**। किन्तु इन शब्दों के बीच कोई मतभेद और विवाद नहीं है; क्योंकि छोटा बड़े में दाखिल है, अतः जो दोनों लाबों (पूरबी लाबा और पच्छिमी लाबा) के बीच है वह हरम है, और जो दोनों हर्रों के बीच है वह हरम है और जो ऐर और सौर के बीच है वह हरम है, और यदि किसी चीज़ के बारे में सन्देह होजाए - अर्थात यह सम्भावना हो कि वह हरम का भाग है और यह भी सम्भावना हो कि वह हरम के बाहर है - तो ऐसी अवस्था में सबसे श्रेष्ठ बात जो कही जा सकती है वह यह है कि: वह संदिग्ध मामलों में से है, और संदिग्ध चीज़ों के बारे में जो तरीक़ा अपनाना चाहिए उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बयान कर दिया है और वह यह है कि: उसमें सावधानी (एहतियात) से काम लिया जाए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुत्तफक़ अलैह (बुखारी और मुस्लिम की रिवायत की हुई) हदीस में फरमाया है:

((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)).

"जो व्यक्ति शुब्हात (सन्देहों) से बच गया उसने अपने दीन और इ़ज़्ज़त व आबरू को बचा लिया, और जो सन्देहों में पड़ गया वह हराम में पड़ गया।"

इस मुबारक नगर की फज़ीलतों में से यह भी है कि: नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसका नाम "**तैबा**" और "**ताबा**" रखा है, बल्कि 'सहीह मुस्लिम' में प्रमाणित है कि अल्लाह तआला ने उसका नाम "**ताबा**" रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((إن الله سمى المدينة طابة)).

"अल्लाह ने मदीना का नाम "ताबा" रखा है।"

और यह दोनों शब्द "**तैयिब**" (अर्थात बेहतरीन और श्रेष्ठ) से निकले (उदघृत) हैं और "**तैयिब**" (बेहतरीन और श्रेष्ठ अर्थ) पर दलालत करते हैं, सो वह दोनों "**तैयिब**" (श्रेष्ठ और बेहतरीन) शब्द हैं जो एक "**तैयिब**" (श्रेष्ठ और बेहतरीन) स्थान के लिए बोले गए हैं।

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है कि ईमान उसकी ओर सिमट कर लौट आएगा, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान हैः

((إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها)).

“ईमान मदीना की ओर उसी प्रकार वापस लौट आएगा जिस प्रकार कि सांप अपने बिल में वापस लौट आता है।” (बुखारी व मुस्लिम)

इसका अर्थ यह है कि ईमान मदीना की ओर पलट आएगा और वहीं केंद्रित हो जाएगा, और मुसलमान उसका रूख करेंगे, उन्हें ईमान और इस मुबारक स्थान की मुहब्बत अपनी ओर खींच रही होगी जिसे अल्लाह तआला ने सम्मान, प्रतिष्ठा और हुरमत वाला घोषित किया है।

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसकी यह विशेषता बयान की है कि वह (मदीना) ऐसी बस्ती है जो बस्तियों को खा जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون لها: يثرب ، وهي المدينة)).

“मुझे एक ऐसी बस्ती की ओर हिज्रत करने का आदेश दिया गया है जो बस्तियों को खा जाएगी,

जिसे लोग यस्रिब कहते हैं, हालांकि वह मदीना है।'' (बुखारी व मुस्लिम)

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फरमान (**تأكل القرى**) अर्थात वह बस्तियों को खा जाने वाली है, की व्याख्या यह की गई है कि उसे अन्य बस्तियों पर प्रभुत्व और विजय प्राप्त होगी, और दूसरी व्याख्या यह की गई है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह में प्राप्त होने वाले ग़नीमत के धन उसकी ओर लाए जाएंगे। और इन दोनों में से प्रत्येक चीज़ प्राप्त और घटित हो चुकी है। चुनांचे इस नगर (मदीना) को उसके अतिरिक्त अन्य नगरों पर ग़ल्बा (प्रभुत्ता, विजय) प्राप्त हो चुका है, और वह इस प्रकार कि इस नगर से मुसलिहीन रहबरों (सुधारक मार्गदर्शकों) और विजयी गाज़ियों की जमाअत निकली और उन्होंने लोगों को अपने रब के आदेश से अंधेरों से निकाल कर प्रकाश की ओर ला खड़ा किया और लोग अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के दीन (धर्म) में प्रवेश किए, तथा प्रत्येक भलाई जो धरती वालों को प्राप्त हुई है वह इस मुबारक नगर मदीनतुर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ही निकली है, अतः इस नगर का दूसरी बस्तियों को खा जाना इस अर्थ पर पूरा उतरता है कि उसे अन्य नगरों पर प्रभुत्ता और विजय

प्राप्त होगा, जैसाकि यह आरम्भ इस्लाम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा -साथियों- की पहली जमाअत और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व अरज़ाहुम के साथ घटित हो चुका है, इसी प्रकार गनीमत के धन का प्राप्त होना और उसका मदीना लाया जाना भी घटित हो चुका है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सूचना दी थी कि क़ैसर एवं किस्रा के खज़ाने (राजकोष) अल्लाह के मार्ग में खर्च किए जाएंगे और यह पेश आचुका है, चुनांचे उन खज़ानों को मदीना लाया गया और उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व अरज़ाहु के हाथों से बांटा गया।

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस नगर के कष्ट, परेशानी और तंगी पर धैर्य करने पर बल दिया है और फरमाया हैः

‘‘मदीना उनके लिए श्रेष्ठ है काश कि वह जानते।’’

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह उन लोगों के बारे में फरमाया था जिन्होंने मदीना को छोड़कर उन स्थानों की ओर जाने के बारे में सोचा था जहां खुशहाली, जीविका

में विस्तार और धन की अधिकता थी, उस समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)).

‘‘मदीना उनके लिए श्रेष्ठ है काश कि वह जानते, जो व्यक्ति उससे विमुखता प्रकट करते हुए उसे छोड़ देगा तो अल्लाह तआला उसके बदले यहां ऐसे व्यक्ति को लाएगा जो उससे श्रेष्ठ होगा, और जो भी व्यक्ति उसकी कठिनाईयों, तंगियों और परेशानियों पर सुदृढ़ रहेगा तो क़ियामत के दिन मैं उसके लिए सिफारशी या गवाह रहूंगा।’’ (मुस्लिम)

यह हदीस हमें इस नगर की फज़ीलत और इसके अन्दर पेश आने वाली कठिनाई, कष्ट और तंगी पर धैर्य करने की फज़ीलत बतलाती है, अतः यह चीज़ आदमी के लिए कहीं इस बात का कारण न बने कि वह खुशहाली और जीविका के विस्तार की खोज में इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चला जाए, बल्कि इसके अन्दर जो

कुछ पेश आए उस पर धैर्य करे और उसके लिए अल्लाह की ओर से इस महान प्रतिफल और बड़े पुण्य का वायदा है।

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस की हुर्मत (सम्मान) का वर्णन करते समय इसकी महानता और इसके अन्दर बिद्‌अत अविष्कार करने की संगीनी और खतरे से सावधान किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)).

"मदीना ऐर से लेकर सौर तक के बीच हरम है, जिसने इसके अन्दर कोई बिद्‌अत अविष्कार किया या किसी बिद्‌अती को शरण दिया, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और समस्त लोगों की धिक्कार है, अल्लाह तआला उसके किसी फर्ज़ और नफ्ली कर्म को स्वीकार नहीं करेगा।" (बुखारी व मुस्लिम)

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है किः नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसके लिए बरकत की दुआ की है, इसी संबंध में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

((اللهم بارك لنا في ثمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدنا)).

"ऐ अल्लाह हमारे फलों में बरकत दे, हमारे नगर (मदीना) में बरकत प्रदान कर, हमारे साअ में बरकत प्रदान कर और हमारे मुद्द में बरकत दे।" (मुस्लिम)

मदीना की फज़ीलतों में से यह भी है किः उस में ताऊन की बीमरी और दज्जाल प्रवेश नहीं करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((على أنقاب المدينة ملائكة ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)).

"मदीना के मार्गों पर फरिश्ते नियुक्त हैं, उसमें ताऊन (प्लेग, महामारी) और दज्जाल प्रवेश नहीं कर सकता।" (बुखारी व मुस्लिम)

मदीना की फज़ीलत में बहुत अधिक हदीसें आई हैं और मैं ने जो यह हदीसें उल्लेख की हैं यह बुखारी व मुस्लिम या उनमें से किसी एक के अन्दर आई हुई कुछ हदीसें हैं।

मदीना की फज़ीलत के संबंध में सर्वश्रेष्ठ लेखाओं में से वह लेख है जिसे शैख डॉक्टर सालेह बिन मुहम्मद अर-रिफाई ने मदीना इस्लामिक विश्वविद्यालय में **पी॰एच॰डी॰** की डिग्री प्राप्त करने के लिए:

''फज़ाईल-ए-मदीना के विषय में वर्णित हदीसों का संग्रह और अध्ययन (अनुसन्धान)''

के शीर्षक पर तैयार किया है, मैं विद्यार्थियों को इस पुस्तक की ओर रुजू करने और इससे लाभान्वित होने की नसीहत करता हूँ।

इस मदीना की नगरी के अन्दर दो महान मस्जिदें भी हैं और वह यह हैं:

❶- रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद।

❷- मस्जिद कुबा।

मस्जिदे नबवी की फज़ीलत

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद की फज़ीलत के बारे में कई हदीसें आई हैं, उन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फर्मान है :

((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)).

''तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी और स्थान की यात्रा न की जाएः मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा।'' (बुखारी वमुस्लिम)

चुनांचे इस मदीना की नगरी में उन तीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है जिन्हें अंबिया-ए-किराम (ईश्दूतों) ने निर्माण किया है और केवल उन्हीं मस्जिदों की ओर यात्रा करना वैध है।

तथा इस मस्जिद के अन्दर नमाज़ की फज़ीलत के बारे में भी हदीस आई है, और वह नमाज़ एक हज़ार नमाज़ से श्रेष्ठ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)).

"मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ इसके सिवाय अन्य मस्जिदों में एक हज़ार नमाज़ से श्रेष्ठ है सिवाय मस्जिद हराम के।" (बुखारी व मुस्लिम)

यह एक बड़ी फज़ीलत और आखिरत के मौसमों (अवसरों) में से एक मौसिम (अवसर) है, जिसके अन्दर फायदे कई गुना हैं, दस गुना और सौ गुना नहीं, बल्कि एक हज़ार से अधिक गुना है।

यह बात ज्ञात है कि दुनियावी व्यापारियों को यदि यह पता चल जाए कि किसी स्थान पर किसी विशेष समय में उनका सामान अधिक बिकता है, तो वह लोग उस मौसिम के लिए भरपूर तैयारी करते हैं, चाहे फायदा आधा या दो गुना ही क्यों न हो, किन्तु उस समय क्या होना चाहिए जबकि यहाँ पर आखिरत के अन्दर फायदा केवल दस गुना, या सौ गुना, या पाँच सौ गुना या छः सौ गुना नहीं है, बल्कि एक हज़ार से अधिक गुना है?!!

इस मुबारक मस्जिद से संबंधित कुछ चेतावनी योग्य बातें :

प्रथम : इस मस्जिद के अन्दर नमाज़ पढ़ने का सवाब (पुण्य) एक हज़ार से अधिक गुना होना नफ्ली नमाज़ को छोड़कर केवल फर्ज़ के साथ मुक़ैयद नहीं है और न फर्ज़ को छोड़कर केवल नफ्ल के साथ मुक़ैयद है, बल्कि इन दोनों (फर्ज़ और नफ्ल) के लिए है; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान ''صلاة'' (नमाज़) मुतलक़ है, अतः फर्ज़ नमाज़ एक हज़ार फर्ज़ के बराबर और नफ्ली नमाज़ एक हज़ार नफ्ल के बराबर है।

द्वितीयः हदीस के अन्दर वर्णित कई गुना सवाब केवल उस स्थान के साथ विशिष्ट नहीं है जिस स्थान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में मस्जिद थी, बल्कि यह अज्र व सवाब के अन्दर अधिकता उस स्थान के लिए तो है ही और हर उस स्थान के लिए भी है जो (बाद में) मस्जिद नबवी के अन्दर विस्तार और वृद्धि की गई है, इसका प्रमाण यह है कि खुलफाए राशिदीन में से उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने मस्जिद नबवी के अन्दर उसके सामने की छोर से वृद्धि किया, और यह बात मालूम है कि (इस समय) इमाम और उससे मिली हुई सफें मस्जिद के उस भाग से बाहर हैं जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में मस्जिद थी, इसलिए यदि वृद्धि

(विस्तार) का भी वही आदेश न होता जो आदेश उस चीज़ का है जिसके अन्दर विस्तार और वृद्धि की गई है, तो यह दोनों खलीफा सामने की ओर से मस्जिद के अन्दर विस्तार न करते, जबकि उनके समय काल में अधिकांश सहाबा उपस्थित थे और किसी एक ने भी उनके इस काम पर आपत्ति व्यक्त नहीं की, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अज्र व सवाब के अन्दर अधिकता केवल उसी स्थान के साथ विशिष्ट नहीं है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के युग में मस्जिद स्थापित थी।

तृतीय: मस्जिद के अन्दर एक स्थान ऐसा है जिसकी विशेषता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह बयान की है कि वह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है, और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फर्मान में है:

((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة))

“मेरे घर और मिंबर के बीच जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है।” (बुखरी व मुस्लिम)

मस्जिद के अन्य भागों को छोड़कर केवल उसी भाग (स्थान) को इस विशेषता से विशिष्ट करना उस स्थान की

फ़ज़ीलत और श्रेष्ठता पर दलालत करता है, यह फ़ज़ीलत उसके अन्दर नफ़्ली नमाज़ें पढ़ने, तथा अल्लाह तआला के ज़िक्र व अज़कार करने और कुरआन का पाठ करने में है इस शर्त के साथ कि उसके अन्दर या वहाँ तक पहुंचने में किसी को कष्ट न पहुँचाया जाए, किन्तु जहां तक फर्ज़ नमाज़ का संबंध है तो अगली सफों में उसकी अदायगी (रौज़ा से) श्रेष्ठ है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها)).

"पुरूषों की सफों में सर्वश्रेष्ठ सफ पहली सफ है और सबसे बुरी सफ अन्तिम सफ है।" (मुस्लिम)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फर्मानः

((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه)).

"यदि लोगों को अज़ान और पहली सफ की फज़ीलत और अज्र व सवाब मालूम होजाए, फिर वह उस पर कुरआ निकालने के अतिरिक्त कोई

और समाधान न पाएं तो वह उस पर अवश्य कुरआ निकालें।'' (बुखारी व मुस्लिम)

चौथा: जब मस्जिद नबवी नमाज़ियों से भर जाए, तो विलम्ब से आने वाले के लिए सामने के छोर को छोड़कर शेष तीनों ओर सड़कों पर इमाम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ना जाईज़ है, और उसे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का अज्र व सवाब प्राप्त हो जाएगा, किन्तु एक हज़ार से अधिक गुना का अज्र व सवाब उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट है जो मस्जिद की सीमा के अन्दर नमाज़ पढ़े; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)).

''मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ उसके सिवाय अन्य मस्जिदों में एक हज़ार नमाज़ों से श्रेष्ठ है सिवाय मस्जिदे हराम के।'' (बुखारी व मुस्लिम)

और जो व्यक्ति सड़कों पर नमाज़ पढ़े वह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला नहीं समझा जाएगा, अतः उसे यह अज्र व सवाब की वृद्धि प्राप्त नहीं होगी।

पांचवाँ: बहुत से लोगों के बीच यह बात प्रचलित और फैली हुई है कि जो व्यक्ति मदीना आए उस पर वाजिब है कि वह मस्जिदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में चालीस नमाज़ें पढ़े, इसलिए कि ''मुस्नद अहमद'' में एक हदीस है जिसे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फर्मायाः

((من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب، وبرئ من النفاق)).

''जिस व्यक्ति ने मेरी मस्जिद में चालीस नमाज़ें इस प्रकार पढ़ीं कि उसकी कोई नमाज़ छूटी नहीं तो उसके लिए जहन्नम से बचाव और अज़ाब से नजात (छुटकारा) लिख दिया जाता है और वह निफाक़ से बरी हो जाता है।''

किन्तु यह एक ज़ईफ हदीस है जो प्रमाण नहीं बन सकती, बल्कि (सहीह बात यह है कि) इस संबंध में मामले के अन्दर विस्तार है, मदीना आने वाला व्यक्ति मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अन्दर कुछ निर्धारित

नमाज़ों का पाबन्द नहीं है, बल्कि उसके अन्दर हर नमाज़ एक हज़ार नमाज़ से श्रेष्ठ है, किसी सीमा रेखा या कुछ निर्धारित नमाज़ों की क़ैद नहीं है।

छठवाँ: बहुत से इस्लामी क्षेत्रों में बहुत से मुसलमान क़ब्रों पर मस्जिदों के निर्माण या मस्जिदों में मृतकों को गाड़ने की बीमारी से पीड़ित हैं, और कुछ लोग इस काम को वैध ठहराने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के आप की मस्जिद में उपस्थित होने को तर्क (प्रमाण) बनाते हैं। इस सन्देह का उत्तर इस प्रकार दिया जाएगा कि मदीना आते ही स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्जिद की निर्माण की और आप ने अपने उन घरों को जिसमें उम्महातुल मोमिनीन (नबी की बीवियाँ) रहती थीं अपनी मस्जिद के पास में बनाया, उन्ही में से आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी घर था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दफन किए गए, और यह घर जिस प्रकार थे उसी प्रकार खुलफा-ए-राशिदीन के समय काल में और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के काल में और उनके बाद दूसरे खुलफा के युग में मस्जिद के बाहर ही बाक़ी रहे। बनी उमैया की खिलाफत के समयकाल में मस्जिद का विस्तार किया गया और आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर जिसके अन्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लम की क़ब्र है, मस्जिद के अन्दर सम्मिलित कर दिया गया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ऐसी मोहकम (ठोस) हदीसें आई हैं जिनके अन्दर नस्ख़ (अर्थात जिसके आदेश में परिवर्तन) की गुंजाईश नहीं है जो इस बात पर दलालत करती हैं कि क़ब्रों को मस्जिदें बनाना हराम (निषिध) है, उन्ही में से जुनदुब बिन अब्दुल्लाह अल-बज्ली रज़ियल्लाहु अन्हु की वह हदीस है जिसे उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से आपकी मृत्यु से पांच रात पहले सुना था, वह कहते हैं: मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आपकी मृत्यु से पांच रात पहले फरमाते हुए सुना:

((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك)).

“मैं अल्लाह के सामने इस बात से बेज़ारी प्रकट करता हूँ कि तुम में से कोई मेरा खलील (मित्र) है,

क्योंकि अल्लाह तआला ने मुझे अपना खलील बनाया है जिस प्रकार कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था, और यदि मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू-बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलील बनाता, सुनो! तुम से पहले जो लोग थे वह अपने नबियों और सालिहीन (सदाचारियों) की क़ब्रों को सज्दागाह (पूजा स्थल) बना लिया करते थे, अतः सावधान! तुम क़ब्रों को सज्दागाह (पूजा स्थल) न बनाना; मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ।'' (सहीह मुस्लिम)

बल्कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जांकनी की हालत का आरम्भ हुआ तो उस समय भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने क़ब्रों को मस्जिदें बनाने से डराया (सावधान किया) जैसाकि बुखारी एवं मुस्लिम में आईशा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्हों ने फरमायाः जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जांकनी की कैफियत का आरम्भ हुआ तो आप अपने मुख पर एक चादर डालने लगे, और जब साँस फूलने लगता तो उसे मुख से हटा लेते, चुनांचे इसी दशा में आपने फरमायाः

''यहूदियों और ईसाईयों पर अल्लाह की धिक्कार (लानत) हो, उन्हों ने अपने नबियों (ईश्दूतों) की क़ब्रों को मस्जिदें बना लीं''। आप उनके कर्म से लोगों को डरा रहे थे।

आईशा, इब्ने अब्बास और जुनूदुब रज़ियल्लाहु अन्हुम की यह इदीसें मोहकम (ठोस) हैं, उनमें किसी भी कारण नस्ख की गुंजाईश नहीं है; इसलिए कि जुनदुब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन के अन्तिम दिनों की है, और आईशा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन के अन्तिम छड़ों की है, अतः किसी मुसलमान -चाहे व्यक्ति हो या समूह- के लिए जाईज़ नहीं है कि वह उस चीज़ को छोड़ दे जिस पर यह सहीह और मोहकम हदीसें दलालत करती हैं, और ऐसे काम पर भरोसा करे जो बनी उमैया के समय काल में पेश आया अर्थात क़ब्र को आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में सम्मिलित किया जाना, और उस से इस बात की दलील पकड़े कि क़ब्रों पर मस्जिदें बनाना या मस्जिदों के अन्दर मृतकों को गाड़ना वैध है।

मस्जिद कुबा की फज़ीलत

मस्जिद कुबा : यह उन दो मस्जिदों में से दूसरी मस्जिद है जिसे इस मदीना की नगरी में प्रतिष्ठा और स्थान प्राप्त है और उसकी नीव पहले ही दिन से तक़्वा के आधार पर स्थापित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के क़ौल व फेल (कथन और कर्म) से ऐसी हदीसें आई हुई हैं जो मस्जिद कुबा में नमाज़ की फज़ीलत पर दलालत करती हैं।

फेली हदीस (नबी का कर्म) : अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह कहते हैं:

''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्रत्येक शनिवार को (कभी) पैदल और (कभी) सवारी पर मस्जिद कुबा आते थे और उस में दो रकूअत नमाज़ पढ़ते थे''। (बुखारी व मुस्लिम)

क़ौली हदीस (नबी का कथन) : सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रमाणित है कि उन्होंने कहाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة)).

जिसने अपने घर में वज़ू किया, फिर मस्जिद कुबा आया और उसमें कोई नमाज़ पढ़ी तो उसके लिए एक उम्रा का सवाब है। (इब्ने माजा आदि)

इस हदीस के अन्दर आपका कथन ‘‘**فصلى فيه صلاة**’’ (उसके अन्दर कोई नमाज़ पढ़ी) फर्ज़ और नफ्ल दोनों नमाज़ों को सम्मिलित है।

हदीसों की संग्रह में कोई ऐसी हदीस नहीं आई है जो मदीना के अन्दर इन दोनों मस्जिदों के अतिरिक्त किसी अन्य मस्जिद की फज़ीलत पर दलालत करती हो।

मदीना में निवास करने के आदाब

जिस व्यक्ति को अल्लाह तआला ने इस मुबारक नगरी तैबतुत-तैयिबा में निवास करने की तौफीक़ प्रदान करे उसके ऊपर अनिवार्य है कि उसके अन्दर यह भावना और एहसास पैदा हो कि वह एक बहुत बड़ी नेमत और महान उपकार से लाभान्वित हुआ है, अतः वह इस नेमत पर अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करे और उसकी अनुकम्पा और उपकार पर उसका गुण गाए, तथा उस पर अनिवार्य है कि उसके अन्दर यह भावना भी पैदा हो कि संसार के बहुत से बासियों के दिलों में इस बात का शौक़ उमंड रहा होता है कि उन्हें मक्का और मदीना तक पहुंचने और वहां ठहरने का सौभाग्य प्राप्त होजाए, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न सही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कामना को पूरी करने के लिए कई लम्बे वर्षों तक थोड़ी थोड़ी राशि एकत्र करते हैं, मुझे याद आ रहा है कि एक भारतीय विद्वान ने उल्लेख किया था कि -भूत काल में- भारतीय हाजी बादबानी नौकाओं पर आते थे और मक्का व मदीना आते हुए अपने मार्ग में एक लम्बी अवधि तक समुद्र में ठहरते थे, चुनांचे उनका एक समूह नौका में

यात्रा कर रहा था और जब उन्होंने उस खुश्की के स्थान को देखा जिसमें मक्का और मदीना स्थिति है तो वह नौका ही पर अल्लाह तआला का शुक्रिया अदा करते हुए सज्दे में गिर गए।

इस मदीना की नगरी में निवास करने के कुछ आदाब हैं :

प्रथम: मुसलमान इस मदीना की नगरी से, उसकी फज़ीलत (प्रतिष्ठा) और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस नगर से प्रेम रखने के कारण, इससे प्रेम रखे।

इमाम बुखारी ने अपनी "**सहीह**" के अन्दर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी यात्रा से वापस लौटते समय जब मदीना की दीवारों को देखते तो उस से प्रेम के कारण अपनी सवारी को तेज़ कर देते और यदि किसी चौपाए पर होते तो उसे हरकत देते।

द्वितीय : मुसलमान को इस बात का लालसी होना चाहिए कि वह इस मदीना की नगरी के अन्दर अल्लाह तआला के हुक्म पर सुदृढ़ता के साथ क़ाईम हो, अल्लाह तआला का आज्ञा पालन करने वाला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी पर सुदृढ़ हो और

बिद्अतों और गुनाहों से बहुत बचने वाला हो, क्योंकि इस नगर में नेकियों का बहुत बड़ा स्थान है, और इसके अन्दर बिद्अतों और गुनाहों का करना बहुत खतरनाक है, इसलिए कि जो हरम के अन्दर अल्लाह तआला की अवज्ञा करता है उसका पाप उस व्यक्ति से बढ़कर है जो हरम के बाहर अल्लाह तआला की अवज्ञा करता है, इसके अन्दर गुनाहों की मात्रा में वृद्धि तो नहीं होती किन्तु उसे हरम के अन्दर करने के कारण वह गम्भीर और बड़ा हो जाता है।

तीसरा : इस मदीना की नगरी में मुसलमान इस बात का आकांक्षी हो कि उसे आखिरत की तिजारत का एक बड़ा भाग प्राप्त हो जिसके अन्दर लाभ कई गुना होता है, इस प्रकार कि उससे जितना हो सके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में नमाज़ें अदा करे ताकि वह उस महान पुण्य से लाभान्वित हो जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने इस फर्मान में वायदा किया है:

((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)).

“मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ उसके सिवाय अन्य मस्जिदों में एक हज़ार नमाज़ों से श्रेष्ठ है सिवाय मस्जिद हराम के।” (बुखारी व मुस्लिम)

चौथा : मुसलमान इस पवित्र नगरी में खैर व भलाई के अन्दर सर्वश्रेष्ठ आदर्श और आइडियल हो; क्योंकि वह एक ऐसे नगर में निवास कर रहा है जहाँ से रोशनी की किरण फूटी और जहाँ से सुधारक मार्गदर्शकों का क़ाफिला संसार के चारों कोनों में रवाना हुआ, ताकि जो व्यक्ति इस नगर में आए वह इसके निवासियों में सर्वश्रेष्ठ आदर्श और नमूना तथा उन्हें अच्छे गुणों और उच्च व्यवहार और आचरण से सुसज्जित पाए, और वह जिस खैर व भलाई और अल्लाह के आज्ञापालन और उसके रसूल के आज्ञापालन पर पाबन्दी को देखे, उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर स्वदेश वापस लौटे। तथा जिस प्रकार इस मदीना की नगरी में आने वाला इस मुबारक नगर में सर्वश्रेष्ठ आदर्श और नमूना को देखकर खैर और भलाई से लाभान्वित होता है, उसी प्रकार मामला उसके बिल्कुल विपरीत होता है जब वह इस नगर में ऐसे लोगों को देखता है जो इसके विपरीत होते हैं, अतः बजाए इसके कि वह लाभ उठाने वाला और गुण गाने वाला होता वह

उलटा हानि उठाने वाला और बुराई करने वाला होजाता है।

पांचवाँ : इस नगर में मुसलमान इस बात को ध्यान में रखे कि वह एक पवित्र धरती पर है जो वह्य के अवतरित होने का स्थान, ईमान का ठिकाना और केन्द्र और रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपके सहाबा मुहाजिरीन और अन्सार के चलने फिरने का स्थान है, इस धरती पर वह लोग खैर व भलाई, दीन पर स्थिरता और सत्य और मार्गदर्शन की पाबन्दी के साथ चले फिरे हैं। अतः वह इस धरती पर कोई ऐसा कार्य करने से बचाव करे जो उन (सहाबा) के कार्य के विपरीत हो, इस प्रकार कि वह कोई ऐसा क़दम उठाए जो अल्लाह तआला की अप्रसन्नता का कारण हो और लोक और परलोक में उसे हानि और बुरा परिणाम भोगना पड़े।

छठवाँ : जिस व्यक्ति को अल्लाह तआला ने मदीना में निवास करने का अवसर प्रदान किया है उसे चाहिए कि वह उसके अन्दर किसी बिदअत के अविष्कार करने या किसी बिद्अती को शरण देने से बचाव करे ताकि उसे धिक्कार और फटकार का सामना न करना पड़े; इसलिए

कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमायाः

((المدينة حرم ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)).

''मदीना हरम (हुरमत और सम्मान वाला) है, जिसने इसके अन्दर कोई बिद्अत निकाली या किसी बिद्अती को शरण दिया, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की और समस्त लोगों की धिक्कार है, क़ियामत के दिन उसका कोई फर्ज़ और नफ्ली कर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।'' इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अबू-हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है और सहीहैन में यह हदीस अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है।

सातवाँ : वह मदीना के अन्दर कोई पेड़ न काटे या कोई शिकार न करे; इसलिए कि इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कई हदीसें आई हुई हैं, उदाहरण स्वरूप आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान हैः

((إن إبـراهيم حـرم مكـة وإنـي حرمـت المدينـة مـا بـين لابتيها، لا يقطـع عضاهها ، ولا يصاد صيدها)).

“इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को सम्मानीय और हुर्मत वाला क़रार दिया था, और मैं मदीना को उस के दोनो लाबों के बीच (अर्थात उस के पूरब और पच्छिम में स्थित दोनों काले पत्थरों वाली ज़मीनों) को हुर्मत वाला और सम्मानीय क़रार देरहा हूँ, उसके कांटेदार पेड़ों को न काटा जाए और न उसके जानवरों का शिकार किया जाए।” (इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है).

इमाम मुस्लिम ने ही सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((إني أحـرم مـا بـين لابـتي المدينـة أن يقطـع عضاهها ، أو يقتـل صيدها)).

“मैं मदीना के दोनों काले पत्थरों वाली ज़मीनों (अर्थात दोनों हर्रों) के बीच उसके पेड़ों को काटना और उसके शिकार को मारना हराम क़रार देता हूँ।”

और बुख़ारी एवं मुस्लिम में आसिम बिन सुलैमान अल-अह्वल से रिवायत है कि उन्हों ने कहाः मैं ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहाः क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना का हरम निर्धारित किया है? (अथवा हराम -हुर्मत व सम्मान वाला- घोषित किया है) उन्हों ने कहाः हाँ, फलाँ स्थान से फलाँ स्थान तक उसके पेड़ को नहीं काटा जाएगा, जिसने उसके अन्दर कोई बिद्अत निकाली, उस पर अल्लाह तआला की, फरिश्तों की और समस्त लोगों की धिक्कार है।

बुखारी एंव मुस्लिम ही में अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि वह कहा करते थेः यदि मैं हिरनियों को मदीना में चरते हुए देखूँ तो उन्हें नहीं भड़काऊंगा, (क्योंकि) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया हैः

''उसके दोनों हर्रों (काले पत्थरों वाली ज़मीनों) के बीच का भाग हरम (सम्मान और हुर्मत वाला) है।''

उस पेड़ से अभिप्राय जिसका काटना हराम है वह पेड़ है जिसे अल्लाह तआला ने उगाया है, किन्तु जिसका रोपण और खेती स्वयं लोगों ने किया है उसे वह काट सकते हैं।

आठवाँ : उसके अन्दर जो जीवन की तंगी, या मुसीबत, या कष्ट व परेशानी पेश आती है मुसलमानों को उस पर धैर्य करना चाहिए; इसलिए कि अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي ، إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا)).

"मेरी उम्मत का जो भी व्यक्ति मदीना की संकट और कष्ट पर धैर्य करेगा, मैं क़ियामत के दिन उसका सिफारशी या गवाह हूँगा।" (मुस्लिम)

तथा सहीह मुस्लिम ही में है कि अबू सईद मौला अल-महरी, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हर्रा की रातों में आए और उनसे मदीना को छोड़ने के बारे में परामर्श किया, उसकी क़ीमतों की मंहगाई और बाल बच्चों की अधिकता की शिकायत की और उनसे बतलाया कि वह मदीना की संकट व परेशानी और उसके कष्ट पर धैर्य करने का साहस नहीं रखते हैं, तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें उत्तर दियाः तेरा बुरा हो, मैं तुझे इसका हुक्म नहीं दे सकता, मैं ने

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है :

((لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة ، إذا كان مسلما)).

"जो भी व्यक्ति मदीना की संकटों और परेशानियों पर धैर्य करते हुए मर जाता है तो मैं क़ियामत के दिन उसका सिफारिशी हूँगा, यदि वह मुसलमान है।"

नवाँ : उसके निवासियों को कष्ट और तकलीफ पहुंचाने से बचाव करे, क्योंकि मुसलमानों को कष्ट पहुंचाना हर स्थान पर हराम है, किन्तु मुक़द्दस नगर में कष्ट पहुंचाना बहुत गम्भीर और संगीन है, इमाम बुखारी ने अपनी सहीह के अन्दर सअद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहाः मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है :

((لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء)).

''जो भी व्यक्ति मदीना वालों के साथ चालबाज़ी और फरेब करेगा वह उसी प्रकार गल पिघल कर समाप्त होजाएगा जिस प्रकार नमक पानी में गल जाता है।''

तथा इमाम मुस्लिम ने अपनी ''सहीह'' में अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्हों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

((من أراد أهل هذه البلدة بسوء - يعني المدينة - أذابه الله كما يذوب الملح في الماء)).

''जो व्यकित इस नगर -अर्थात मदीना- के बासियों के साथ बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसे वैसे ही पिघला देगा जिस प्रकार कि नमक पानी में पिघल जाता है।''

दसवाँ : मदीना का बासी इस बात से धोके में न पड़े कि वह मदीना का बासी है, और यह कहे कि: मैं मदीना का बासी हूँ , इसलिए मैं खैर व भलाई पर हूँ! क्योंकि मात्र मदीना का बासी होना यदि उसके साथ सत्कर्म और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी पर स्थिरता, तथा गुनाहों और अवहेलना

(नाफरमानी) से दूरी और बचाव न हो तो उसे कुछ भी लाभ नहीं देगा, बल्कि उलटा उसके लिए हानि का कारण होगा।

मुअत्ता इमाम मालिक में है कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमायाः **"निःसन्देह धरती किसी व्यक्ति को पवित्र (पारसा) नहीं बनाती है, बल्कि मनुष्य को उसका कर्म पवित्र और पारसा बनाता है।"** इसकी सनद के अन्दर इन्क़िताअ है, किन्तु इसका अर्थ सहीह है और यह सूचना वस्तुस्थिति (हक़ीक़ते वाक़िआ) के बिल्कुल अनुसार है, स्वयं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का फरमान हैः

﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات:١٣].

"अल्लाह के निकट तुम में से सब से श्रेष्ठ (सम्मान वाला) वह है जो सब से अधिक डरने वाला हो।" (सूरतुल-हुज्रातः १३)

यह बात मालूम है कि मदीना के अन्दर विभिन्न समय काल में नेक लोग भी रहे हैं और बुरे लोग भी, चुनांचे नेक लोगों को उनके कर्म लाभ पहुंचाएंगे, और बुरे लोगों को मदीना पवित्र और पारसा नहीं बना देगा और न ही उनके पद और स्थान को ऊंचा कर देगा, यह बिल्कुल

हसब व नसब (वंश एवं गोत्र) के समान है, मनुष्य का बिना सत्कर्म के केवल हसब व नसब वाला होना अल्लाह के निकट उसे कोई लाभ नहीं देगा; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है:

((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)).

“जिसको उसके कर्म ने पीछे कर दिया उसे उसका हसब व नसब (वंश) आगे नहीं बढ़ा सकता।” (मुस्लिम)

अतः जिस व्यकित को उसके कर्म ने स्वर्ग में प्रवेश पाने से पीछे छोड़ दिया तो मात्र उसका हसब व नसब (वंश) उसे स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता।

ग्यारहवाँ : मुसलमान इस नगर में रहते हुए अपने अन्दर यह भावना और एहसास पैदा करे कि वह एक ऐसे नगर में है जहां से नूर की किरण फूटी और वहां से लाभदायक ज्ञान संसार के चारों कोनों में फैला, अतः वह शरई इल्म (धर्म ज्ञान) प्राप्त करने का इच्छुक और लालसी बने जिसके द्वारा वह ज्ञान और ध्यान के साथ अल्लाह के धर्म पर कार्यबद्ध हो सके और दूसरो को भी ज्ञान के साथ उसकी ओर निमन्त्रण दे, विशेषकर जब यह ज्ञान

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद में प्राप्त किया जाए; इसलिए कि अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि उन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुनाः

((من دخل في مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له)).

''जिस व्यक्ति ने हमारी इस मस्जिद में प्रवेश किया ताकि खैर व भलाई की शिक्षा प्राप्त करे या दूसरे को उसकी शिक्षा दे तो वह अल्लाह के मार्ग में मुजाहिद के समान है, और जिस व्यक्ति ने उसके अतिरिकत किसी और उद्देश्य के लिए प्रवेष किया तो वह ऐसी चीज़ की ओर देखने वाला है जो उसके लिए नहीं है।'' इस हदीस को इमाम अहमद और इब्ने माजा आदि ने रिवायत किया है, और तब्रानी में सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से इसकी एक शाहिद भी है।

मदीना की ज़ियारत के आदाब

जिस प्रकार मदीना में निवास करने के आदाब हैं उसी प्रकार उसकी ज़ियारत करने के भी कुछ आदाब हैं। मदीना की ज़ियारत करने वाले पर मदीना में निवास करने के उन आदाब को ध्यान में रखना अनिवार्य है जिन में से कुछएक पिछले पन्नों में वर्णन किए जाचुके हैं। तथा इस बात से अवगत होना उचित है कि मदीना आने वाले व्यकित के लिए वैध यह है कि वह अपनी यात्रा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद की ज़ियारत और उसकी ओर यात्रा करने का इरादा करे; इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى)).

तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी और स्थान की यात्रा (उससे बरकत प्राप्त करने और उस में नमाज़ पढ़ने के लिए) न की जाए: मस्जिदे हराम, मेरी यह मस्जिद और मस्जिदे अक़्सा। (बुखारी वमुस्लिम)

यह हदीस किसी भी स्थान का -चाहे मस्जिद हो या कोई अन्य जगह- उस स्थान में जिसका यात्रा किया जा रहा है अल्लाह तआला की निकटता के लिए यात्रा करने की मनाही पर दलालत करती है; इसलिए कि ''सुनन नसाई'' में अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि उन्हों ने कहाः मैं ने बस्रह बिन अबी बस्रह अल-ग़िफारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाक़ात की तो उन्होंने कहाः तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं ने उत्तर दियाः तूर से। उन्होंने कहा : यदि तुम से मेरी मुलाक़ात तुम्हारे वहाँ जाने से पहले हो जाती तो तुम वहाँ न जाते, मैं ने कहा : वह क्यों? उन्होंने कहा : मैं ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है:

((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس)).

''तीन मस्जिदों के अतिरिक्त कहीं और के लिए (उससे बरकत प्राप्त करने और उस में नमाज़ पढ़ने के लिए) यात्रा न की जाएः मस्जिदे हराम, मेरी मस्जिद और बैतुल मक़्दिस की मस्जिद।''

यह हदीस सहीह है, और इसके अन्दर बस्रह बिन अबी बस्रह ग़िफारी रज़ियल्लाहु अन्हु का इन तीन मस्जिदों के अतिरिक्त किसी अन्य मस्जिद या किसी अन्य स्थान की ज़ियारत के लिए यात्रा करने की मनाही पर तर्क मौजूद है।

जिस व्यक्ति का इस मुबारक नगर में आगमन हो उसके लिए दो मस्जिदों और तीन क़ब्रिस्तानों की ज़ियारत करना मशरूअ (मुस्तहब) है।

● *वह दोनों मस्जिदें यह हैं :*

१. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद।

२. मस्जिद कुबा।

इन दोनों मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत के बारे में कुछ दलीलें गुज़र चुकी हैं।

● *वह तीन क़ब्रिस्तान जिन की ज़ियारत करना मशरूअ है यह हैं :*

१. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्रे मुबारक और आपके दोनों साथियों अबू बक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की क़ब्रें।

२. बक़ी का क़ब्रिस्तान।

3. उहुद के शहीदों का क़ब्रिस्तान।

जब ज़ियारत करने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र और आपके दोनों साथियों की क़ब्रों के पास आए तो सामने की ओर से आए और क़ब्र की ओर मुंह करे और शरीअत के बताए हुए ढंग के अनुसार ज़ियारत करे, बिदई ज़ियारत से बचाव करे, शरई ज़ियारत यह है कि वह अदब के साथ धीमी स्वर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम पढ़े और आप के लिए दुआ करे, वह कहेः

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته.

ऐ अल्लाह के रसूल ! आप पर शान्ति और अल्लाह की कृपा और उसकी बरकतें अवतरित हों, अल्लाह

तआला आप पर सलात व सलाम और बरकत अवतरित करे, और आप को उससे श्रेष्ठ प्रतिफल (बदला) से सम्मानित करे जो उसने किसी नबी को उसकी उम्मत की ओर से दिया है।

फिर अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम भेजे और उनके लिए दुआ करे, फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर सलाम पढ़े और उन के लिए दुआ करे।

इस बात से अवगत होना उचित है कि इन दोनों महान पुरूषों और खुलफा-ए-राशिदीन को अल्लाह तआला की ओर से वह सम्मान और विशेषता प्राप्त है जो इनके अतिरिक्त किसी अन्य को प्राप्त नहीं, चुनांचे जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सत्य और मार्गदर्शन के साथ भेजा तो अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु पुरूषों में सबसे पहले वह व्यक्ति हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ईमान लाए और नबी बनाए जाने के पश्चात तेरह वर्ष तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत में मक्का में रहे, और जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल को मदीना की ओर हिज्रत करने का आदेश दिया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यात्रा के मित्र थे और इस

बारे में अल्लाह तआला ने कुरआन उतारा जिसका पाठ किया जाता है, और वह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का यह फरमान है :

﴿إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:٤٠].

“यदि तुम उन (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सहायता न करो तो अल्लाह ही ने उनकी सहायता की उस समय जबकि उन्हें काफिरों ने (देश से) निकाल दिया था, दो में से दूसरा जबकि वह दोनों ग़ार (गुफा) में थे जब यह अपने साथी से कह रहे थे कि चिन्ता न कर अल्लाह हमारे साथ है, सो अल्लाह तआला ने अपनी ओर से उन पर शान्ति उतार कर उन जत्थों से उनकी सहायता की जिन्हें तुम ने देखा ही नहीं, उसने काफिरों की बात नीची कर दी और ऊंचा तो अल्लाह का कलिमा ही है, अल्लाह ग़ालिब है, हिकमत वाला है।” (सूरतुत्-तौबाः ४०)

और मदीना में दस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत को लाज़िम पकड़े रहे, और सारी जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ उपस्थित रहे, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु होगई तो आप के पश्चात खिलाफत की बागडोर संभाली और खिलाफत को सर्वश्रेष्ठ ढंग से निभाया, और जब अल्लाह तआला ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मृत्यु देदी तो आप को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बग़ल में दफन होने का सम्मान प्रदान किया, और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु मरने के बाद उठाए जाएंगे तो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ होंगे, यह अल्लाह तआला की कृपा और अनुकम्पा है और अल्लाह तआला जिसे चाहता है अपनी कृपा से सम्मानित करता है। और अल्लाह महान कृपा वाला है।

जहाँ तक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का संबंध है तो आप से पहले लगभग चालीस लोग इस्लाम में प्रवेष कर चुके थे, मुसलमानों के विरूद्ध आपका रवैया बहुत कठोर था, किन्तु जब अल्लाह तआला ने आप को इस्लाम की ओर हिदायत की नेमत से सम्मानित किया तो आपकी शक्ति और कठोरता काफिरों के विरूद्ध केन्द्रित हो गई और आपका इस्लाम स्वीकार करना मुसलमानों के

लिए सम्मान और विजय का कारण सिद्ध हुआ, जैसाकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का कथन है : **"जब से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए हम लगातार इज़्ज़त -सम्मान- से लाभान्वित हैं"**। इस कथनको इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह के अन्दर उल्लेख किया है।

मक्का में सदैव नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत में रहे, आपके साथ मदीना की ओर हिज्रत किया, और तमाम लड़ाईयो में आपके साथ शरीक रहे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन के पश्चात अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत की ज़िम्मेदारी संभाली तो उनका दायां हाथ थे, फिर अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद खिलाफत की बागडोर संभाली और दस साल से अधिक समय तक खलीफा रहे, जिसके अन्तराल बहुत सी विजयें प्राप्त हुईं, इस्लामी राज्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत होगया, और उस समय की दो महान राज्यों अर्थात रूम और फारिस की राज्यों की समाप्ति होगई, और क़ैसर (रूमी सम्राट) एवं किस्रा (ईरानी सम्राट) के कोष (भण्डार) अल्लाह के मार्ग में खर्च किए गए, जैसाकि सादिक़ व मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी सूचना दी थी, यह सारा कारनामा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पर अन्जाम पाया, और जब आप की मृत्यु हुई तो अल्लाह

तआला ने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बग़ल में दफन होने का सम्मान प्रदान किया, और जब आप पुनः उठाए जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ जन्नत में होंगे, यह अल्लाह तआला की कृपा और अनुकम्पा है और अल्लाह तआला जिस पर चाहता है अपनी कृपा करता है। और अल्लाह महान कृपा वाला है।

क्या इन दोनों महान पुरूषों से जिनकी यह महानता और जिनकी यह विशेषता और पद है कोई द्वेषी व्यक्ति, कपट और द्वेष रखेगा? या कोई निंदाकर्ता उनकी निंदा और आलोचना करेगा? **نعوذ بالله من الخذلان** (निःसहाय और निराशा से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं).

﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم﴾

‘‘ऐ हमारे रब! हमें क्षमा कर दे और हमारे उन भाईयों को भी जो हम से पहले ईमान लाचुके हैं और ईमानदारों के लिए हमारे हृदय में कपट और दुश्मनी न डाल, ऐ हमारे रब! निःसन्देह तू कृपा और दया करने वाला है।’’

﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾

‘‘ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े न कर और हमें अपने पास से रहमत प्रदान कर, निः सन्देह तू ही बहुत बड़ा दाता और प्रदान कर्ता है।’’

इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह अपनी तफ्सीर के अन्दर अल्लाह तआला के फरमानः

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً﴾ [النساء:٣١].

‘‘यदि तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम को रोका जाता है तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह क्षमा

करदेंगे और सम्मान व श्रेष्ठता के स्थान में प्रवेष कराऐंगे।" (सूरतुन निसाः ३१)

की तफ्सीर में इब्ने अबी हातिम से मुग़ीरा बिन मक़्सिम तक उनकी इस्नाद के साथ उल्लेख किया है कि उन्होंने कहाः यह बात कही जाती थी कि : **अबू बक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गाली देना कबीरा (बड़े) गुनाहों में से है।** फिर इब्ने कसीर कहते हैं : मैं कहता हूँ : **उलमा का एक समूह इस बात की ओर गया है कि सहाबा किराम को गाली देने (दुर्वचन कहने) वाला काफिर है।** मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह की एक रिवायत यही है, और मुहम्मद बिन सीरीन का क़ौल हैः

मैं नहीं समझता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से महब्बत रखने वाला कोई व्यक्ति अबू बक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कपट और शत्रुता रखेगा। (तिरमिज़ी)

बिदई (अवैध) ज़ियारत और उस पर आधारित बातें

●बिदई (अवैध) ज़ियारत वह है जो निम्न-लिखित चीज़ों को सम्मिलित हों :

प्रथम : रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पुकारना, आप से फर्याद चाहना और आप से आवश्यकताओं की पूर्ति, संकटो और परेशानियों को दूर करने का प्रश्न करना, या इनके अतिरिक्त कोई और चीज़ मांगना जिसे केवल अल्लाह तआला से ही मांगा जा सकता है। क्योंकि दुआ (पुकारना) इबादत है, और इबादत केवल अकेले अल्लाह तआला की ही की जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

((**الدعاء هو العبادة**))

"दुआ ही इबादत है।"

यह एक सहीह हदीस है जिसे अबू दाऊद और त्रिमिज़ी आदि ने रिवायत किया है, और त्रिमिज़ी ने कहा है कि यह हदीस हसन सहीह है।

इबादत केवल अल्लाह तआला का हक (अधिकार) है और अल्लाह तआला के हक़ में से किसी भी चीज़ को ग़ैरूल्लाह के लिए करना जाईज़ नहीं है; क्योंकि यह अल्लाह तआला के साथ शिर्क है। अतः अल्लाह तआला ही से उम्मीद (आशा) रखी जाएगी और उसी को पुकारा जाएगा, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ नहीं मांगी जाएगी बल्कि आपके हक़ में दुआ की जाएगी, इसी प्रकार आप के अतिरिक्त अन्य क़ब्र वालों के हक़ में दुआ की जाएगी उनसे दुआ नहीं मांगी जाएगी। और यह बात मालूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी क़ब्र के अन्दर जीवित हैं और यह जीवन बर्ज़खी है जो शहीदों के जीवन से अधिक सम्पूर्ण है, और इस जीवन की कैफियत और तथ्य अल्लाह तआला के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, और यह जीवन, मृत्यु से पहले के जीवन और मरने के पश्चात पुनः जीवित किए जाने और उठाए जाने के पश्चात के जीवन से विभिन्न है, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुआ मांगना और आप से फर्याद चाहना जाईज़ नहीं है; इसलिए कि यह इबादत है और इबादत केवल अल्लाह तआला की जाईज़ है, जैसाकि उल्लेख हो चुका।

द्वितीय : अपने दोनों हाथों को नमाज़ की कैफियत के समान अपने सीने पर रखना। ऐसा करना जाईज़ नहीं है; इसलिए कि यह अल्लाह तआला के सामने नम्रता और विनय प्रदर्शन करने की कैफियत है जो नमाज़ के अन्दर वैध की गई है जिसमें मुसलमान खड़े होकर अल्लाह तआला से मुनाजात (प्रार्थना) करता है, जबकि सत्यता यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा किराम आप के जीवन में जब आप के पास पहुंचते थे तो आप से सलाम करते समय अपने हाथों को अपने सीनों पर नहीं रखते थे, यदि यह कोई नेकी (पुण्य) का काम होता तो वह उसकी ओर पहल कर चुके होते।

तीसरा : आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के चारों ओर की दीवारों और खिड़कियों पर हाथ फेरना, इसी प्रकार मस्जिद के किसी स्थान या उसके अतिरिक्त कहीं और हाथ फेरना। ऐसा करना जाईज़ नहीं है; इसलिए कि यह हदीस में नहीं आया है और न ही यह सलफ सालिहीन (पूर्वजों) के कर्म से प्रमाणित है, बल्कि यह शिर्क का कारण और द्वार है। हो सकता है ऐसा करने वाला यह कहे कि : मैं ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत में करता हूँ!! हम ऐसे व्यक्ति से कहेंगे :

प्रत्येक मुसलमान के हृदय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत उसके अपने माता-पिता, बाल बच्चों और तमाम लोगों की महब्बत से बढ़कर होना अनिवार्य और आवश्यक है, जैसाकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)).

''तुम में से कोई व्यक्ति उस समय तक मोमिन नहीं होसकता जब तक कि मैं उसके निकट उसके माता पिता, उसके बाल बच्चों और तमाम लोगों से अधिक प्रिय न होजाऊँ।'' (बुखारी व मुस्लिम)

बल्कि अनिवार्य यह है कि यह महब्बत आदमी के अपने प्राण से महब्बत करने से भी अधिक हो, जैसाकि सहीह बुख़ारी में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में प्रमाणित है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत का प्राण, माता पिता, और बाल बच्चों की महब्बत से बढ़कर होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वह नेमत जिसे अल्लाह तआला ने आपके हाथों पर मुसलमानों को प्रदान किया है - और वह है इस्लाम की नेमत, सीधे मार्ग

की ओर हिदयात की नेमत, अंधेरों से प्रकाश की ओर निकलने की नेमत - वह सबसे महान और सबसे मूल्यवान नेमत है, जिसके बराबर और जिसके समान कोई और नेमत नहीं है।

किन्तु इस महब्बत की निशानी (पहचान) दीवारों और खिड़कियों पर हाथ फेरना नहीं है, बल्कि उसकी पहचान (प्रमाण) रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण और आप की सुन्नतों पर कार्यबद्ध होना है, क्योंकि इस्लाम धर्म दो बड़ी चीज़ों पर आधारित है :

❶- इबादत केवल अल्लाह तआला की की जाए।

❷- अल्लाह की इबादत केवल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की लाई हुई शरीअत के अनुसार की जाए, और यही "**لا إله إلا الله**" (अल्लाह के अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं) की गवाही और "**محمد رسول الله**" (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं) की गवाही का तक़ाज़ा है।

कुरआन करीम के अन्दर एक आयत है जिसे कुछ उलमा "**परीक्षा की आयत**" से नामित करत हैं, और वह अल्लाह तआला का यह फर्मान है :

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران:٣١].

"कह दीजिए ! यदि तुम अल्लाह तआला से महब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी (अनुसरण) करो, स्वयं अल्लाह तआला तुम से महब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह क्षमा कर देगा और अल्लाह तआला बड़ा क्षमा करने वाला और दयालू है।" (सूरत-आल इम्रानः ३१)

हसन बसरी और उनके अतिरिक्त अन्य सलफ (पूर्वज) का कथन है : **कुछ लोगों का गुमान था कि वह अल्लाह तआला से महब्बत करते हैं तो अल्लाह तआला ने इस आयत के द्वारा उनकी आज़माईश (परीक्षा) की।**

परीक्षा का अर्थ यह है कि अल्लाह तआला ने उनकी आज़माईश की और उनको जांचा परखा ताकि सच्चे और झूठे के बीच अन्तर होजाए, क्योंकि जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महब्बत का दावा करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने दावा पर प्रमाण स्थापित करे, और वह प्रमाण रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैरवी (अनुसरण) है।

इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह इस आयत की तफ्सीर में फरमाते हैं : यह आयत करीमा हर उस व्यक्ति के विरूद्ध हाकिम और निर्णायक है जो अल्लाह तआला से महब्बत का दावा करे किन्तु वह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मार्ग पर चलने वाला न हो, ऐसा व्यक्ति वास्तव में झूठा है यहाँ तक कि वह शरीअते मुहम्मदी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दीन की अपने तमाम बातों और कर्मों में पैरवी करे, जैसाकि सहीह बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).

''जिसने कोई ऐसा कर्म किया जो हमारे हुक्म (शरीअत) के अनुसार नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकारनीय) है।''

इसीलिए अल्लाह तआला का फरमान हैः

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

[آل عمران:٣١].

“यदि तुम अल्लाह तआला से मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी (अनुसरण) करो, स्वयं अल्लाह तआला तुम से मुहब्बत करेगा।” (सूरत-आल इम्रानः ३१)

अर्थात तुम जो अल्लाह तआला से महब्बत के तलबगार (आकांक्षी) हो तुम्हें उससे बढ़कर चीज़ प्राप्त होगी और वह यह कि स्वयं अल्लाह तआला तुम से महब्बत करेगा, और यह पहले से अधिक श्रेष्ठ और (महान) है, जैसाकि कुछ विद्वानों का कथन हैः **सम्मान और श्रेष्ठता की बात यह नहीं है कि तुम किसी से महब्बत करो, सम्मान और श्रेष्ठता इसमें है कि तुमसे महब्बत की जाए।** फिर इब्ने कसीर ने हसन बसरी और उनके अतिरिक्त अन्य सलफ का पूर्व कथन उल्लेख किया है।

इमाम नववी “अल-मजमूअ शरहुल मुहज़्ज़ब” के अन्दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की दीवारों को चूमने और उस पर हाथ फेरने के बारे में लिखते हैं : **“बहुत से अवाम (जन साधारण) की शरीअत की मुख़ालफत (उल्लंघन) और उनके इस कर्म से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पैरवी और अमल का आधार हदीसें और उलमा के कथन हैं, अवाम और उनके**

अतिरिक्त अन्य लोगों की स्वयं अपनी गढ़ी और ईजाद की हुई बातों और जहालतों (मूर्खताओं) की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा।''

सहीहैन में आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रमाणित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))

''जिसने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसी चीज़ निकाली (ईजाद की) जिसका संबंध उससे नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकारनीय) है।''

और मुस्लिम की एक रिवायत में हैः

((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).

''जिसने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसी चीज़ निकाली (ईजाद की) जिसका संबंध उससे नहीं है तो वह मर्दूद (अस्वीकारनीय) है।''

और अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वह कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((لا تجعلوا قبري عيدا ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)).

''मेरी क़ब्र को ईद न बनाओ, और मेरे ऊपर दरूद भेजते रहो, क्योंकि तुम कहीं भी रहो मुझ तक तुम्हारा दरूद पहुंचता रहता है।'' (इस हदीस को अबू दाऊद ने इसनादे हसन के साथ रिवायत किया है).

फुज़ैल बिन अयाज़ रहिमहुल्लाह का क़ौल है जिसका अभिप्राय यह है: **हिदायत (मार्ग दर्शन) के रास्तों की पैरवी कर, तुझे उस पर चलने वालों की कि़ल्लत हानि नहीं पहुंचाएगी, और गुमराही (पथ-भ्रष्टता) के रास्तों से बचाव कर और सर्वनाश होने वालों की अधिकता से धोके में न पड़।**

जिस व्यक्ति के दिल में यह बात आए कि हाथ फेरना आदि बरकत के अधिक पात्र है तो यह उसकी नासमझी और गफलत है; इसलिए कि बरकत तो केवल उस चीज़ के अन्दर है जो शरीअत के अनुसार हो, सहीह और उचित चीज़ का विरोध करके फज़ीलत को ढूंढ़ना कहाँ की बुद्धिमानी है?! इमाम नववी रहिमहुल्लाह का कथन समाप्त हुआ।

चौथा : ज़ियारत करने वाले का आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र का तवाफ (परिक्रमा) करना। ऐसा करना हराम और अवैध है; इसलिए कि अल्लाह तआला ने केवल काबा मुशर्रफा के गिर्द तवाफ करना वैध किया है, अल्लाह ﷻ ने फरमायाः

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج:٢٩]

"और लोग अल्लाह के पुराने घर का तवाफ करें।" (सूरतुल-हज्जः २६)

अतः काबा मुशर्रफा के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का तवाफ नहीं किया जाएगा, इसीलिए कहा जाता है किः हर स्थान पर अल्लाह तआला के लिए कितने ही नमाज़ पढ़ने वाले हैं, इसी प्रकार कहा जाता हैः कितने ही लोग अल्लाह के लिए दान पुण्य करने वाले हैं, कितने ही लोग अल्लाह के लिए रोज़ा रखने वाले हैं और कितने ही लोग अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वाले हैं, किन्तु यह नहीं कहा जाता है कि : हर स्थान पर कितने ही लोग अल्लाह तआला के लिए तवाफ करने वाले हैं; इसलिए कि तवाफ केवल अल्लाह के पुराने घर (खाना काबा) के साथ विशिष्ट है।

शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहिमहुल्लाह फरमाते हैं: मुसलमानों की इस बात पर सर्वसहमति है कि केवल बैतुल मामूर का तवाफ वैध है, अतः न बैतुल मुकद्दस के चटान (कुब्बतुस-सख्रह) का तवाफ वैध है, न ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुज्रा (गृह) का, न अरफात पहाड़ी के कुब्बा (गुंबद) का और न ही उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का।

पांचवाँ : आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास आवाज़ ऊंची करना। ऐसा करना वैध (जाईज़) नहीं है; इसलिए कि अल्लाह तआला ने मोमिनों को उसी समय (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ) अदब व एहतराम का प्रदर्शन करने की शिक्षा दी है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनके बीच उपस्थित थे, अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾
[الحجرات:٢- ٣]

"ऐ ईमान वालो ! अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची न करो और न उनसे ऊंची स्वर में बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं (ऐसा न हो कि) तुम्हारे आमाल नष्ट होजाएं और तुम्हें पता भी न हो। वास्तव में जो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के समक्ष अपने स्वर धीमी रखते हैं, यही वह लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जांच लिया है। उनके लिए क्षमा और बड़ा पुण्य है। (सूरतुल हुजुरातः २-३)

और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस प्रकार अपने जीवन में मान-सम्मान के पात्र हैं उसी प्रकार अपनी मृत्यु के बाद भी सम्मानीय हैं।

छठवाँ : दूर ही से क़ब्र की ओर मुख करके चाहे मस्जिद के अन्दर हो या उसके बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजना। हमारे अध्यापक शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह अपनी किताब "**हज्ज एंव उम्रा के मनासिक**" में लिखते हैं: **ऐसा व्यक्ति**

अपने इस कार्य के द्वारा महब्बत व मैत्री और विमलता के बजाए आप से जफा (अत्याचार और उजड्पन) के अधिक निकट है।

यह बात चेतावनी के योग्य है कि मदीना आने वाले कुछ लोगों को उनके कुछ परिवार या दूसरे लोग यह वसीयत करते हैं कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनका सलाम पहुंचा देंगे, चूंकि हदीस के अन्दर इसका कोई प्रमाण (दलील) नहीं आया है इसलिए जिस व्यक्ति से यह मुतालबा किया जाए उसे चाहिए कि ऐसे व्यक्ति से कहे किः तुम अधिक से अधिक आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद व सलाम भेजो, फरिश्ते उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक पहुंचाते हैं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान हैः

''अल्लाह तआला के ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में चक्कर लगाते रहते हैं और वह मेरी उम्मत की ओर से मुझे सलाम पहुंचाते हैं।''

यह एक सहीह हदीस है जिसे इमाम नसाई आदि ने रिवायत किया है।

और इसलिए भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है :

((**لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم**)).

"अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ, और मेरी क़ब्र को ईद (मेला-ठेला) न बनाओ, और मेरे ऊपर दरूद भेजते रहो, क्योंकि तुम कहीं भी रहो मुझ तक तुम्हारा दरूद पहुंचता रहता है।"

यह एक सहीह हदीस हे जिसे अबू दाऊद आदि ने रिवायत किया है।

यहाँ पर यह जान लेना उचित है कि हज्ज एंव उम्रा के बीच और ज़ियारते मदीना के बीच कोई संबंध नहीं है। अतः जो व्यक्ति हज्ज या उम्रा करने के लिए आया है उसके लिए सम्भव है कि वह मदीना आए बिना अपने देश लौट जाए और जो व्यक्ति अपने देश से मदीना की ज़ियारत के लिए आया है उसके लिए जाईज़ है कि वह बिना हज्ज या उम्रा किए हुए वापस लौट जाए, और उसके लिए यह भी सम्भव है कि हज्ज एंव उम्रा और मदीना की ज़ियारत एक ही यात्रा में एकत्र कर ले।

किन्तु जहाँ तक उन हदीसों का संबंध है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के बारे में उल्लेख की जाती हैं, उदाहरणतः यह हदीस :

((من حج ولم يزرني فقد جفاني))

जिसने हज्ज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की उसने मेरे साथ जफा (अत्याचार) किया।

और यह हदीस :

((من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي)).

जिसने मेरे मरने के बाद मेरी ज़ियारत की तो मानो उसने मेरे जीवन में मेरी ज़ियारत की।

और यह हदीस :

((من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة)).

जिसने एक ही साल में मेरी ज़ियारत की और मेरे पिता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, तो मैं उसके लिए अल्लाह तआला पर जन्नत की ज़मानत देता हूँ।

और यह हदीस :

((من زار قبري وجبت له شفاعتي)).

जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफाअत अनिवार्य होगई।

तो ज्ञात होना चाहिए कि यह हदीसें और इनके समान अन्य हदीसें प्रमाण और तर्क नहीं बन सकतीं; इसलिए कि यह हदीसें मौज़ू (मन गढ़त) हैं या बहुत अधिक ज़ईफ हैं, जैसाकि हुफ्फाज़े-हदीस (हदीसों का सर्वाधिक ज्ञान रखने वालों) उदाहरण स्वरूप दारकुत्नी, उक़ैली, बैहक़ी, इब्ने तैमिय्या और इब्ने हज्र रहिमहुमुल्लाह ने इस पर चेतावनी दी है।

किन्तु जहां तक अल्लाह तआला के इस फरमान का संबंध है:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً﴾

[النساء:٦٤]

‘‘और यदि यह लोग जब इन्होंने अपने प्राणों पर अत्याचार किया था, तेरे पास आ जाते और अल्लाह तआला से क्षमा याचना करते और रसूल भी उनके लिए क्षमा याचना करते तो अवश्य यह लोग अल्लाह तआला को क्षमा करने वाला दयालू पाते। (सूरतुन-निसाः६४)

तो ज्ञात होना चाहिए कि इस आयत में इस बात की दलील नहीं है कि प्राण पर अत्याचार करने के समय आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र का रूख करना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क्षमा याचना करना चाहिए; इसलिए कि आयत का संदर्भ मुनाफिक़ों के बारे में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आना यह केवल आप के जीवन में है; इसलिए कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम क्षमा याचना करते हुए क्षमा याचना के आकांक्षी बन कर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास नहीं आते थे, इसी कारण उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूखा पड़ने के समय अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ का वसीला पकड़ा और कहाः

((اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا)).

ऐ अल्लाह! जब हम सूखे से पीड़ित होते थे तो तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की दुआ का वसीला पकड़ते थे और तू हम पर वर्षा बरसाता था, आज हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा की दुआ का वसीला पकड़ते हैं, अतः तू हम पर वर्षा बरसा। रावी का कहना है कि उन पर वर्षा होती थी। **(सहीह बुखारी)**

यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु के पश्चात आपका वसीला पकड़ना जाईज़ होता तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको छोड़कर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का वसीला न पकड़ते। इसका प्रमाण वह हदीस भी है जिसे इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह के अन्दर किताबुल मरज़ा में आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : हाय सिर ! तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः **"यह यदि मेरी जिंदगी में होता** (अर्थात यदि तू मेरे जीते जी मर जाती) **तो मैं तेरे लिए दुआ और क्षमा याचना करता"**। तो आईशा

रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहाः हाय मुसीबत ! अल्लाह की सौगन्ध मेरा गुमान है कि आप मेरी मौत चाहते हैं ...।

यदि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निधन के पश्चात आप से प्रार्थना और क्षमा याचना सम्भव होता तो कोई अन्तर नहीं था कि आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मृत्यु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले होती या आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु उनसे पहले होती।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करने पर वही हदीसें दलालत करती (तर्क) हैं जो सामान्य क़ब्रों की ज़ियारत पर दलालत करती हैं, उदाहरण स्वरूप आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान :

((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة))

''क़ब्रों की ज़ियारत करो; क्योंकि यह तुम्हें आखिरत (परलोक) की याद दिलाती है।'' (सहीह मुस्लिम)

किन्तु आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास अधिक समय तक ठहरना उचित नहीं है और न ही अधिकाधिक ज़ियारत करना; क्योंकि यह आदमी को ग़ुलू (अतिशयोक्ति) में मुबतला कर देता है, जबकि अल्लाह

तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को आपकी उम्मत के बीच यह विशेषता प्रदान की है कि फरिश्ते प्रत्येक स्थान से आप तक सलाम पहुंचाते हैं; जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान हैः

((إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام))

“अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में घूमते रहते हैं, वह मुझे मेरी उम्मत की ओर से सलाम पहुंचाते हैं।”

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((لا تجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم))

“अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओं, और न मेरी क़ब्र को ईद (मेला-ठेला) बनाओ और मुझ पर दरूद भेजते रहो; क्योंकि तुम कहीं भी रहो तुम्हारा दरूद (फरिश्तों के द्वारा) मुझ तक पहुँचता रहता है।”

चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी क़ब्र को ईद बनाने से रोक दिया, तो अपने इस फर्मान के द्वाराः **“और मुझ पर दरूद भेजते रहो; क्योंकि तुम कहीं**

भी रहो तुम्हारा दरूद (फरिश्तों के द्वारा) मुझ तक पहुंचता रहता है'' उस बात की ओर रहनुमाई कर दी जो उसके स्थान में है।

किन्तु बक़ीअ की क़ब्रों की ज़ियारत और उहुद के शहीदों के क़ब्रों की ज़ियारत यदि वैध तरीक़े पर हो तो वह मुस्तहब है और यदि बिद्अत के तरीक़े पर हो तो वह ज़ियारत हराम है।

शरई (वैध) ज़ियारत

शरई (वैध) ज़ियारत यह है जो ऐसे तरीक़े पर की जाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है और वह ज़ियारत करने वाले व्यक्ति के लाभान्वित होने और जिसकी ज़ियारत की जा रही है उसको लाभ पहुंचाने पर आधारित हो।

●ज़ियारत करने वाला जीवित व्यक्ति (कब्र की ज़ियारत से) तीन फायदे प्राप्त करता है:

पहला फायदा: मौत को याद करना; जिसके कारणवश वह सत्कर्म करके उसके लिए तैयारी करता है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है:

((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)).

"क़ब्रों की ज़ियारत करो; क्योंकि यह तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है।" (सहीह मुस्लिम)

दूसरा फायदा: ज़ियारत करने का कर्म, और यह सुन्नत है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मस्नून क़रार दिया है, जिस पर पुण्य मिलता है।

तीसरा फायदा: मृतक मुसलमानों पर उनके लिए दुआ करके उपकार करना, और इस उपकार पर उसे पुण्य मिलता है।

किन्तु वह मृतक जिसकी ज़ियारत की जा रही है वह शरई ज़ियारत से अपने लिए दुआ और उपकार का फायदा उठाता है; इसलिए कि मृतक जीवित लोगों की दुआ से लाभान्वित होते हैं।

क़ब्रों की ज़ियारत करने वाले के लिए मुस्तहब (श्रेष्ठ) है कि वह क़ब्र वालों के लिए वह दुआ करे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस बारे में प्रमाणित है, उसी में से बुरैदा बिन हसीब अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, वह कहते हैं: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें क़ब्रिस्तान की ओर निकलते समय दुआ सिखाते थे, चुनांचे उनका कहने वाला कहता था:

((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، اسأل الله لنا ولكم العافية)).

“ऐ मोमिनों और मुसलमानों के घराने वालो! तुम पर शान्ति हो, इन-शाअल्लाह हम तुम से मिलने वाले हैं,

मैं अल्लाह तआला से अपने लिए और तुम्हारे लिए आफियत का प्रश्न करता हूँ।'' (मुस्लिम)

क़ब्रों की ज़ियारत पुरूषों के लिए मुस्तहब (श्रेष्ठ) है, किन्तु महिलाओं के लिए क़ब्रों की ज़ियारत के बारे में उलमा के बीच मतभेद है, कुछ लोगों ने इसे वैध क़रार दिया है और कुछ लोगों ने इससे रोका है, दोनो विचारों (कथनों) में सबसे स्पष्ट कथन मनाही का है; इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है:

((لعن الله زوارات القبور)).

क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली स्त्रियों पर अल्लाह तआला की लानत (धिक्कार) हो।

इस हदीस को त्रिमिज़ी आदि ने रिवायत किया है, और त्रिमिज़ी ने कहा है: यह हदीस हसन सहीह है।

''ज़व्वारात'' के शब्द में सबसे स्पष्ट बात यह है कि वह निस्बत के लिए है, अर्थात उनकी ओर ज़ियारत की निस्बत की गई है, या उसका अर्थ है: ज़ियारत करने वालियाँ, इसका सम उदाहरण अल्लाह तआला का यह फरमान है:

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت:٤٦]

“तुम्हारा रब (प्रभु) बन्दों पर अत्याचार करने वाला नहीं है।” (सूरत फुस्सिलतः ४६)

अर्थात अत्याचार वाला नहीं है, या उसकी ओर अत्याचार की निस्बत नहीं है, इस प्रकार “**ज़व्वारात**” का शब्द ज़ियारत के अन्दर मुबालग़ा के लिए नहीं है, जैसाकि महिलाओं के लिए क़ब्रों की ज़ियारत को वैध क़रार देने वाले कुछ लोगों ने उल्लेख किया है, और इसलिए भी कि महिलाएं कमज़ोर दिल होती हैं और रोने धोने और नौहा करने से बहुत कम धैर्य कर पाती हैं।

तथा मनाही का कथन ही सावधनी की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है; इसलिए कि स्त्री यदि ज़ियारत छोड़ दे तो उससे एक मुयतहब चीज़ के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ नहीं छूटेगी, और यदि वह ज़ियारत करती है तो वह लानत (धिक्कार) का पात्र होगी।

बिदई ज़ियारत

बिदई (अवैध रूप से अविष्कारित) ज़ियारत वह है जो ग़ैर शरई ढंग पर की जाए, उदाहरण स्वरूप क़ब्र वालों से दुआ मांगने, उनसे फर्याद चाहने और उनसे आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न आदि करने के लिए क़ब्रों का रूख किया जाए, ऐसी ज़ियारत से मृतक को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है और स्वयं जीवित व्यक्ति को उससे हानि उठाना पड़ता है, जीवित व्यक्ति उससे हानि उठाता है; क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जो जाईज़ नहीं है; इसलिए कि यह अल्लाह तआला के साथ शिर्क है, और मृतक को भी फायदा नहीं पहुँचता है; क्योंकि उसके लिए दुआ नहीं की गई है, बल्कि अल्लाह को छोड़ कर स्वयं उसी से दुआ मांगी गई है।

हमारे अध्यापक शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह अपनी किताब ''हज्ज एंव उम्रा के मनासिक'' में फरमाते हैं:

''किन्तु उनकी क़ब्रों के पास दुआ करने, उसके पास ठहरने के उद्देश्य से, या उनसे आवश्यकता की पूर्ति, या बीमारों के रोग-निवारण का प्रश्न करने, उनके द्वारा या

उनके प्रतिष्ठा और पद के द्वारा अल्लाह तआला से मांगने आदि के उद्देश्य से उनकी ज़ियारत करना बिद्अत और अवैध काम है जिसे न अल्लाह ने वैध किया है और न उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, और न ही सलफ सालेहीन (सदाचारी पूर्वजों) रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको किया है। बल्कि यह उस निरर्थक और बेहूदा बातों में से है जिस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मनाही की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

((زوروا القبور ولا تقولوا هجرا))

"क़ब्रों की ज़ियारत करो और बेहूदा बातें न कहो।"

उपरोक्त बातें बिद्अत होने में एक हैं, किन्तु उनकी श्रेणियाँ विभिन्न हैं, चुनांचे उनमें से कुछ बिद्अत हैं शिर्क नहीं हैं, उदाहरणतः क़ब्रों के पास अल्लाह से दुआ मांगना, और मरे हुए व्यक्ति के हक़ और जाह (पद, प्रतिष्ठा) के द्वारा प्रश्न करना .... आदि। और कुछ बातें शिर्क अक्बर में से हैं उदाहरण स्वरूप मुर्दों को पुकारना और उनसे सहायता मांगना... इत्यादि।

अन्ततः

यह वह बातें हैं जिनका उल्लेख करना मेरा लक्ष्य था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें, इस मदीना की नगरी के निवासियों, इसकी ज़ियारत करने वालों और समस्त मुसलमानों को उस चीज़ की तौफीक़ प्रदान करे जिसका परिणाम लोक और परलोक में श्रेष्ठ हो, और हमें इस पवित्र नगर में सुनिवास और सुगम आचरण से सम्मानित करे, और हमें शुभ अन्त प्रदान करे।

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@hotmail.com

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन..	३
मदीना की फज़ीलत................................	७
मस्जिदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की फज़ीलत	२०
मस्जिदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित कुछ चेतावीनी योग्य बातें..............................	२२
मस्जिद कुबा की फज़ीलत.............................	३१
मदीना में निवास करने के आदाब	३३
मदीनी की ज़ियारत के आदाब........................	४७
अबू बक्र एंव उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कुछ फज़ाईल	५१
बिदई ज़ियारत और उस पर आधारित बातें...........	५८
शरई ज़ियारत......................................	८०
बिदई जियारत......................................	८४
अन्ततः	८६
विषय सूची...	८७